2022: Neutral Citation
2023:CGHC:40702911

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
डब्ल्यू. पी. 227 नंबर 245/2021

श्रीमती नीलम शर्मा पति श्री राजेंद्र शर्मा उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी अग्रवाल सॉ मिल के पीछे, गोंडपारा, बिलासपुर, तहसील और जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़ जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. बृजमोहन दुआ पुत्र स्वर्गीय सीताराम दुआ उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी बुखारी पेट्रोल पंप के सामने, जेकब चाल, लिंक रोड, बिलासपुर, तहसील और जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. श्रीमती. चंद्रकली पति बृजमोहन दुआ उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी बुखारी पेट्रोल पंप के सामने, जेकब चाल, लिंक रोड, बिलासपुर, तहसील और जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3. दुर्गेश नंदिनी @ बबली पुत्री बृजमोहन दुआ उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी बुखारी पेट्रोल पंप के सामने, जेकब चाल, लिंक रोड, बिलासपुर, तहसील और जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4.संतोषी जांगडे पुत्री वेंकेट जांगडे उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम–दामापुर, तहसील और जिला–मुंगेली, छत्तीसगढ़ है।, जिलाःमुंगेली, छत्तीसगढ़

5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कलेक्टर बिलासपुर, जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।, जिलाःबिलासपुर, छत्तीसगढ़

6. कृष्ण दुआ पुत्र स्वर्गीय सीताराम दुआ निवासी 67, तपोवन परिसर, सोमल बाड़ा, नागपुर, महाराष्ट्र।, जिलाःनागपुर, महाराष्ट्र

---- उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता के लिएः	:	श्री एच. वी. शर्मा अधिवक्ता
उत्तरदातागण संख्या 1 से 3	:	कोई उपस्थित नहीं है
उत्तरदाता संख्या 4 के लिए।	:	श्री अनिल मौर्य की ओर से अधिवक्ता श्री शशि कुमार कुशवाहा,
उत्तरदाता संख्या 5 के लिए अधिवक्ताः	:	श्री अफरोज खान, पैनल अधिवक्ता
उत्तरदाता संख्या 6 के लिए	:	कोई उपस्थित नहीं

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही

एस. बी.:माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

आदेश

07/02/2022

1. उत्तरदाता संख्या 1 से 3/प्रतिवादियों दिनांक 20.11.2021 के पेपर प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित मोड के माध्यम से नोटिस की तामिली के बाद भी कोई भी उपस्थित नहीं है।

2. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को पते पर भेजे गए नोटिस को इस नोट के साथ वापस कर दिया गया है कि "दरवाजा अंदर से बंद था" और यह घर के अंदर मौजूद व्यक्ति ने नहीं खोला। इसके बाद, जब प्रोसेस सर्वर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पते पर गया, दरवाजा खटखटाने पर, एक महिला ने कहा कि "वे कोई नोटिस स्वीकार नहीं करना चाहते हैं" और प्रोसेस सर्वर ने 22.10.2021 पर उपरोक्त टीप के साथ नोटिस की प्रति वापस कर दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं/प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3 पर पेपर प्रकाशन के माध्यम से प्रतिस्थापित तामिली प्रभावित की गई है और उसके बाद, मामले की सुनवाई अंततः की जाती है।

4. इस याचिका में चुनौती चतुर्थ सिविल न्यायाधीश वर्ग–II, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 30.03.2021 के आदेश को दी गई है, जिसके तहत विद्वत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता/वादी और प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 का डीएनए परीक्षण कराने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया।

5. इस याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/वादी ने प्रत्यर्थियों/प्रतिवादियों संख्या 1 से 6 के खिलाफ स्वामित्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि विवाद में संपत्ति वादी और प्रतिवादियों संख्या 1 से 4 की संयुक्त स्वामित्व संपत्ति है। वह खसरा नंबर 616/2 में स्थित दुकान के हिस्से में एक ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय चला रही है। याचिकाकर्ता/वादी प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा है । प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता/वादी के पक्ष में संपत्ति के दस्तावेज को निष्पादित करने का इरादा रखता था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3, जो याचिकाकर्ता/वादी की वास्तविक बहन है, द्वारा उठाई गई आपत्ति पर वह विधि के अनुसार दस्तावेजों को निष्पादित करने में सक्षम नहीं था। प्रतिवादी संख्या 3 ने यह भी धमकी दी कि वह यह साबित कर देगी कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 की बेटी नहीं है और इसलिए, यह घोषणा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ कि

याचिकाकर्ता/वादी संपत्ति में हिस्सेदारी के अन्य राहतों के साथ प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा है। दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता/वादी ने डॉ. अंकित त्रिपाठी और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, हैदराबाद द्वारा किए जाने वाले प्रतिवादी संख्या 1 के डीएनए परीक्षण के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन का जवाब उत्तरदाता क्रमांक.1/प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा दिया गया था। आवेदन पर विचार करने के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा आवेदन को निरस्त कर दिया।

6. याचिकाकर्ता/वादी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता/वादी ने यह घोषणा करने के लिए दीवानी वाद दायर किया कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा है। जब तक और जब तक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से विशेषज्ञ रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष लंबित मामले पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। डी. एन. ए. परीक्षण एकमात्र वैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता/वादी के पितृत्व को साबित किया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन के जवाब में, उत्तरदाता क्रमांक 1/ प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अनुरोध किया कि यदि न्यायालय उत्तरदाता संख्या 1 को डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश देता है, तो उत्तरदाता संख्या 1 तैयार है और न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के लिए तैयार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने डी. एन. ए. परीक्षण कराने पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन फिर भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन को यह दर्ज करते हुए निरस्त कर दिया जाता है कि जब तक और जब तक न्यायालय की संतुष्टि नहीं होती, तब तक इसका आदेश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन के साथ–साथ वाद में, याचिकाकर्ता/वादी ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि प्रतिवादी की उम्र लगभग 75 वर्ष है और वह चिकित्सकीय बीमारियों से पीड़ित है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 का डी. एन. ए. परीक्षण कराने का आदेश देने की भी तात्कालिक आवश्यकता है। उन्होंने तर्क दिया कि जब डी. एन. ए. परीक्षण केवल प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के संबंध से याचिकाकर्ता/वादी के जन्म के पितृत्व या वैधता को साबित करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि है, तो विद्वत विचारण न्यायालय को आवेदन की अनुमति देनी चाहिए थी। वह दीपानविता रॉय बनाम रोनोब्रतो रॉय के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हैं, जो ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 418 में दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरदाता संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शशि कुमार कुशवाहा प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता को प्रस्तुत करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

8. राज्य/प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री अफरोज खान प्रस्तुत करते हैं कि राज्य एक औपचारिक पक्ष है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

10. वाद के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता/वादी ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि उसका जन्म प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के रिश्ते से हुआ था। वे दोनों अभी भी पति–पत्नी के रूप में रह रहे हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन में, यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की उम्र 75 वर्ष है और वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित है। भले ही मुकदमे में याचिकाकर्ता/वादी द्वारा मांगी गई अन्य राहत संपत्ति के संबंध में है, लेकिन मुख्य राहत याचिकाकर्ता/वादी को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा घोषित करने के संबंध में है। अन्य राहत परिणामी हैं। यदि याचिकाकर्ता/वादी का पितृत्व साबित नहीं होता है, तो उसे सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता रहेगा। किसी बच्चे या किसी भी व्यक्ति की वैधता या पितृत्व को साबित करने के लिए, डीएनए ही साबित करने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शारदा बनाम धर्मपाल (2003) 4 एस. सी. सी. 493 के मामले में एक पक्ष को चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का निर्देश देने के लिए न्यायालयों की शक्तियों के मुद्दे पर विचार किया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"76. इस मामले पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है।

ऐसे सभी वैवाहिक मामलों में जहां तलाक की मांग की जाती है, जैसे कि नपुंसकता, सिज़ोफ्रेनिया आदि के आधार पर, सामान्य रूप से चिकित्सकीय परीक्षण के बिना, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा कि क्या उसके पति या पत्नी द्वारा ऐसे आधार पर तलाक की मांग करने वाले अन्य पति या पत्नी के खिलाफ लगाया गया आरोप सही है या नहीं। इस तरह के आरोप को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता हमेशा चिकित्सकीय परीक्षण पर जोर देगा। यदि उत्तरदाता इस आधार पर ऐसी चिकित्सा परीक्षण से बचता है कि यह उसके निजता के अधिकार या भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसे अधिकांश मामलों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव हो सकता है। यह उन आधारों को प्रस्तुत कर सकता है जिन पर तलाक स्वीकार्य है। इसलिए, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त निजता का कोई अधिकार नहीं है और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" वाक्यांश की व्यापक व्याख्या के साथ इस अधिकार को अनुच्छेद 21 में पढ़ा गया है, तो इसे पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। जिस बात पर जोर दिया जाता है वह यह है कि इस अधिकार पर कुछ सीमाएं लागू की जानी चाहिए और विशेष रूप से जहां दो प्रतिस्पर्धी हित टकराते हैं। उपरोक्त प्रकृति के मामलों में जहां विधायिका ने अपने पति या पत्नी को ऐसे आधारों पर तलाक लेने का अधिकार प्रदान किया है, यह उस पति या पत्नी का अधिकार होगा जो उत्तरदाता के तथाकथित निजता के अधिकार के साथ टकराव में आता है। इस

प्रकार न्यायालय को शामिल हितों को संतुलित करके इन प्रतिस्पर्धी हितों का मिलान करना होगा ।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नारायण दत्त तिवारी बनाम रोहित शेखर व अन्य (2012) 12 एस. सी. सी. 554 के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए पितृत्व घोषणा के संबंध में मुद्दे से निपटने के लिए, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:–

"54. हम यह भी पाते हैं कि चिकित्सा परीक्षण के निर्देश का पालन करने से इंकार करने से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना न्यायालय द्वारा पाई गई आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक विधिक कल्पना, जैसा कि प्रतिकूल निष्कर्ष है, एक वास्तविकता नहीं है, लेकिन जिसे उक्त प्रावधान न्यायालय को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। न्यायालय इस तरह के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य या अनुग्रहित नहीं है (एम्परर विरुद्ध शिबनाथ बनर्जी, धनवंतराई बलवंतराई देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य और फकीर मोहम्मद बनाम सीता राम देखें)।

55. एक अनुमान अपने आप में सबूत नहीं है, बल्कि केवल उन पक्षों के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाता है जिनके पक्ष में यह मौजूद है (सोधी ट्रांसपोर्ट कंपनी विरुद्ध स्टेट ऑफ यू. आई. पी. देखें)। जहाँ तक दामिसेट्टी रामचेंद्रुडु विरुद्ध दामिसेट्टी जानकीरामन्ना में यह माना गया था कि अनुमान पर्याप्त साक्ष्य को विस्थापित नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ के मामले में भी कहा कि यह साक्ष्य में विधि का सिद्धांत है कि किसी तथ्य या मुद्दे के बिंदुओं को साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य लाया जाना चाहिए और न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने और न्याय देने में कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

56. हाल ही में मारिया मार्गारिडा सेक्वेरिया फर्नांडीस विरुद्ध इरास्मो जैक डी सेक्वेरिया में यह दोहराया गया था कि सच्चाई मार्गदर्शक तारा है और न्यायिक प्रक्रिया और विचारण की यात्रा में खोज है। दुनिया भर में पक्षों द्वारा पूर्ण प्रकटीकरण और यह सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों की तैनाती की प्रवृत्ति देखी गई कि तथ्यात्मक विवाद का दायरा कम से कम हो। इसलिए हमारी राय है कि गैर–अनुपालन से प्रतिकूल निष्कर्ष डी. एन. ए. परीक्षण के लिए एक निर्देश की प्रवर्तनीयता का विकल्प नहीं हो सकता है। उक्त निर्देश के तहत अपीलार्थी के मूल्यवान अधिकार, इस तरह के डी. एन. ए. परीक्षण के माध्यम से अपने पितृत्व को साबित करने के लिए अपीलार्थी को तुलनात्मक रूप से कमजोर "प्रतिकूल निष्कर्ष" से संतुष्ट होने के लिए कहकर छीन नहीं लिया जा सकता है।

57. विवादित निर्णय अन्य देशों में इस संबंध में विधि को व्यापक रूप से संदर्भित करता है। यद्यपि हमारी राय है कि एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में दीवानी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय को इस तरह का निर्देश जारी करने का अधिकार दे दिया है, तो अन्य क्षेत्राधिकारों में विधि महत्वहीन हो जाती है।"

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपानविता राय (पूर्वोक्त) के मामलें में यह अभिनिर्धारित किया कि–

"10. इस न्यायालय के भवानी प्रसाद जेना (पूर्वोक्त), और नंदलाल वासुदेव बड़वाईक (पूर्वोक्त), के मामलों में दिये गये निर्णयों के अनुसार प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए न्यायालय के लिये अनुज्ञेय होगा कि वह किसी आक्षेप, जो किसी पक्ष द्वारा सफल या असफल होने का आधार हो, कि सत्यता जानने के लिये डी०एन०ए० परीक्षण का निर्देश दे सकेगा । इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि ऐसा परीक्षण कराने का निर्देश टाला जा सकता हो, तो उसे टाल देना चाहिए । इसका कारण इस न्यायालय के पूर्व में दिये गये अनेकों निर्णयों के अनुसार यह है कि किसी बच्चे की वैधता को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए ।

11. इस मामले में जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह अपीलार्थी–पत्नी की कथित बेवफाई के संबंध में है।प्रतिवादी–पति ने बेवफाई का आरोप लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत दायर याचिका में स्पष्ट दावे किए हैं। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम रखने तक का काम किया है, जो अपीलार्थी–पत्नी से पैदा हुए पुरुष बच्चे का पिता था। यह प्रक्रिया में है बेवफाई के अपने आरोप को साबित करने के लिए, कि प्रतिवादी–पति ने डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष एक आवेदन किया था, जो यह स्थापित करेगा कि वह अपीलार्थी–पत्नी से पैदा हुए पुरुष बच्चे का पिता था या नहीं। उत्तरदाता को लगता है कि उसके लिए डीएनए परीक्षण के माध्यम से (अपीलार्थी–पत्नी की बेवफाई के) उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करना ही संभव है। हम उनसे सहमत हैं। हमारे विचार में, लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण के लिए, प्रतिवादी–पति के लिए अभिवचनों में किए गए दावों को स्थापित और पुष्टि करना असंभव होगा। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश, जैसा कि यहाँ ऊपर दिया गया है, परिस्थितियों में डी. एन. ए. परीक्षण को पूरी तरह से उचित बताया गया है। डी. एन. ए. परीक्षण सबसे वैध और वैज्ञानिक रूप से सही साधन है, जिसका उपयोग पति अपनी बेवफाई के दावे को स्थापित करने के लिए कर सकता है। इसे साथ ही पत्नी के लिए भी सबसे प्रामाणिक, सही और सही साधन के रूप में लिया जाना चाहिए, ताकि वह प्रतिवादी–पति द्वारा किए गए दावों का खंडन कर सके और यह स्थापित कर सके कि वह विश्वासघाती, व्यभिचारी या विश्वासघाती नहीं थी। यदि अपीलार्थी–पत्नी सही है, तो वह सही साबित होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान मामले में भी, ऐसा नहीं है कि पति या पत्नी में से किसी ने एक–दूसरे के खिलाफ कार्यवाही दायर की है और उस कार्यवाही में कोई बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण करने और बच्चे को खतरे में डालने के लिए आवेदन दिया गया है। लेकिन

प्रस्तुत मामले में, यह वह बच्चा है जिसने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के रिश्ते से पैदा हुआ बच्चा होने की घोषणा के लिए वाद दायर किया। इसलिए, उसके पितृत्व को साबित करना है, जो उसे सामाजिक अपमान से बचाने का भी अधिकार है। उत्तरदाता क्रमांक 1/प्रतिवादी क्रमांक 1 भी डीएनए परीक्षण से गुजरने से इंकार नहीं किया, लेकिन आवेदन के जवाब में, यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि यदि न्यायालय निर्देश देती है, तो वह डीएनए परीक्षण से गुजरने के लिए तैयार है।

15. उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत याचिकाकर्ता/वादी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने में गलती की है।

16. तदनुसार, इस याचिका की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश के विधि में रखने योग्य नहीं होने के कारण इसे निरस्त दिया जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत याचिकाकर्ता/वादी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति है और उत्तरदाता क्रमांक 1/प्रतिवादी क्रमांक 1 को आवेदन में उल्लिखित सरकारी संस्थान से डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया जाता है। परीक्षण का सारा खर्च याचिकाकर्ता/वादी द्वारा वहन किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**